



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237650
CG-DL-E-28072022-237650

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3300]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3300]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3465(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद् द्वारा, गुजरात राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड की सभी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजनाओं के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्रीमती एस.आर. केलैया, मामलातदार साबरमती, जिला - अहमदाबाद, गुजरात सरकार को, प्रतिनियुक्ति के आधार पर, सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. गुजरात राज्य में मैसर्स गेल (इण्डिया) लिमिटेड के लिए दिनांक 13.04.2022 को भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 12.04.2022 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1810(अ) द्वारा पूर्व में अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी, श्री एस.पी. डामोर, मामलातदार, गुजरात सरकार को निरस्त किया जाता है।

3. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/241/2021-जीपी-II(ई-41188)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3465(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Smt. S.R. Kelaiya, Mamlatdar Sabarmati, District – Ahmedabad, Government of Gujarat to perform the functions of Competent Authority on deputation basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for all Natural Gas Pipeline Projects of M/s. GAIL (India) Limited in the State of Gujarat.

2. Earlier notified Competent Authority for M/s. GAIL (India) Limited in the State of Gujarat, Shri S.P. Damor, Mamlatdar, Government of Gujarat, vide S.O. 1810(E) dated 12.04.2022 published in the Extraordinary Gazette of India dated 13.04.2022 stands de-notified.

3. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/241/2021-GP-II(E-41188)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.